

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
अंब्रालय,
महानदी अवन, बाबा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ४९५ / एफ-७-१५१ / ३१ / एस-२ / २०२१,
 प्रति,

अटल नगर, दिनांक २७/०२/२०२५

मुख्य अभियंता,
 मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
 जल संसाधन विभाग,
 बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-सक्ती अंतर्गत हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत सक्ती शाखा नहर के कि.मी. ० से ११ के मध्य सकरेली वितरक नहर के आर.डी. ० से ४००० मी. तक नहरों के सी.सी. लाईनिंग एवं फिलिंग क्षेत्र में टो-वाल का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-१७११/बोधी/RAA/2024/7397, दिनांक 29.08.2024.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-सक्ती अंतर्गत हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत सक्ती शाखा नहर के कि.मी. ० से ११ के मध्य सकरेली वितरक नहर के आर.डी. ० से ४००० मी. तक नहरों के सी.सी. लाईनिंग एवं फिलिंग क्षेत्र में टो-वाल का निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 319.34 लाख (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख चौतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षेत्र ६१५ हेक्टेयर में १०६ हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा २४ हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल ६३९ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-२३, लेखशीर्ष-४७००-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [०१]-हसदेव बांगो परियोजना {८००}-अन्य व्यय, ०१०१ राज्य आयोजना (सामान्य), (२८९८) बांध तथा संलग्न कार्य #२६-वृहद निर्माण कार्य, ००५ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-२२४२/बजट-२/वित्त/चार/२०२५, दिनांक ०३.०२.२०२५ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार

(गोरेलाल भूआर्य)

अवर सचिव


२०२५
 छत्तीसगढ़ शासन
 राज्य संसाधन विभाग

पृ.क्र. 896 / एफ-7-151/31 / एस-2/2021,

अटल नगर, दिनांक 27/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4—22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मंडल खरसिया, जिला—रायगढ़।
 14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-6, सक्ती, जिला—जांजगीर—चांपा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



अवर सचिव 27 अप्रैल
छत्तीसगढ़ शासन
राज्य संसाधन विभाग